



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072021-228388
CG-DL-E-20072021-228388

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2685]
No. 2685]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 20, 2021/आषाढ़ 29, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 20, 2021/ASHADHA 29, 1943

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2021

का.आ. 2891(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उपधारा (3) और धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता को, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करती है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए या उनके द्वारा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त किए जाने तक या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पूर्वोक्त हो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 10/03/2020-पुनर्गठन]

नवनीत गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th July, 2021

S.O. 2891(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 and sub-section (2) of section 5 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby appoints Ms. Meenakshi Gupta, as Whole-time Member of the Telecom Regulatory Authority of India, for a term of three years from the date on which she enters upon her office or until she attains the age of sixty-five years, or until further orders, whichever is the earliest.

[F.No. 10-03/2020-Restg.]

NAVNEET GUPTA, Jt. Secy.